>

Title: Illegal mining of sand and pebbles in various districts of Uttar Pradesh.

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे बालू के अवैध खनन की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद वन विभाग की जमीन पर और व्यक्तिगत पट्टों से बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। इस अवैध खनन में एम एम 11, जो सरकारी धन इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें 400-500 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां का ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: How does it relate to the Central Government?

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** सर, यह अवैध खनन वन विभाग की जमीन से किया जा रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आती है।

**अध्यक्ष महोदय :** वन विभाग की जमीन से खनन किया जा रहा है। ठीक हैष बोलिए।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** अध्यक्ष महोदय, जो छः चक्के का ट्रक है, उससे 1800 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और जो 10 पहिए का ट्रक है, उससे 2700 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश के गरीब व्यक्ति है, जो मकान बनवाना चाहते हैं, बालू की महंगाई की वजह से उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। पहले एक ट्रक 2000 या 2500 रुपए का मिल जाता था, लेकिन अब वही ट्रक 5000 रुपए का मिल रहा है। जो बालू पहले मुश्किल से 4000 रुपए की मिलती थी, वही बालू आज 10,000 या 12,000 रुपए की मिल रही है। बालू के अवैध खनन के कारण वहां कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। सिंडीकेट के नाम से यह पैसा वसूला जा रहा है। हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इसकी सी.बी.आई. जांच कराई जाए, जो टैक्स सरकार की आड़ में वसूल किया जा रहा है उसकी भी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।